भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड
7वां तल, मयूर भवन, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001

परिपत्र

सं. आई.बी.बी.आई./एल.ए.डी./72/2024 **9 मई, 2024**

सेवा में,
समस्त रजिस्ट्रीकृत दिवाला व्यावसायिक
समस्त मान्यताप्राप्त दिवाला व्यावसायिक संस्थाएं
समस्त रजिस्ट्रीकृत दिवाला व्यावसायिक एजेंसी
(रजिस्ट्रीकृत ईमेल पतों पर मेल द्वारा और आई.बी.बी.आई. की वैबसाइट पर)

महोदय/महोदया
विषयः दिवाला व्यावसायिकों द्वारा दिवाला कार्यवाहियों से संबंधित न्यायिक आदेशों को अपलोड करना

दिवाला व्यावसायिक(आई.पी.) लोक उद्घोषणा, दावों, समाधान योजना के लिए आमंत्रण और नीलामी नोटिस से संबंधित जानकारी भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड(आई.बी.बी.आई.) की वैबसाइट पर अपलोड कर रहे हैं । इसके अतिरिक्त, विभिन्न हितधारकों की सुविधा को बढ़ाने के लिए, आई.बी.बी.आई. दिवाला कार्यवाहियों से संबंधित विभिन्न न्यायालयों और अधिकरणों द्वारा पारित न्यायिक आदेशों को भी अपनी वैबसाइट https://ibbi.gov.in/en/orders पर होस्ट करता है । यह सब आई.बी.सी. पारिस्थितिकी-तंत्र में हितधारकों को सुविधा प्रदान करने का भाग गठित करता है ।

2. चूंकि आई.पी. के पास दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अधीन उनके द्वारा संभाली जाने वाली प्रक्रियाओं को प्रभावित करने वाले सभी महत्वपूर्ण न्यायिक आदेशों तक प्रथम बार पहुंच और जानकारी होती है, इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि आई.पी. अपने संबंधित असाइनमेंट से संबंधित नीचे उल्लिखित न्यायिक आदेशों को अपने डैशबोर्ड पर अपलोड करेंगे । इससे यह भी सुनिश्चित होगा कि ऐसे महत्वपूर्ण न्यायिक आदेश जिनका संहिता के अधीन चालू प्रक्रियाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव है, हितधारकों की सुविधा के लिए समयबद्ध रीति में उपलब्ध हों ।

3. विनिर्दिष्ट रूप से, आई.पी. को निम्नलिखित प्रकार के आदेशों को अपलोड करने का निदेश दिया जाता है -

I. **एन.सी.एस.टी./एन.सी.एल.ए.टी. के लिए, निम्नलिखित प्रवर्ग के आदेशों को अपलोड किया जाना है-**

(क) प्रतिग्रहण आदेश

(ख) समाधान योजना आदेश का अनुमोदन

(ग) धारा 12क के अधीन प्रत्याहरण के माध्यम से दिवाला प्रक्रिया का बन्द किया जाना/अपील/ पुनर्विलोकन या व्यवस्थापन

(घ) दिवाला प्रक्रिया का रोकादेश

(ङ) समापन आदेश

(च) विघटन आदेश

(छ) अधिमानी, न्यून-मूल्यांकित, कपटपूर्ण, अतिशय उधार संव्यवहार और कपटपूर्ण और सदोष ट्रेडिंग

(ज) ऐसा आदेश, जिसमें आई.बी.बी.आई. के लिए कार्रवाई-योग्य मुद्दा है

II. उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के, ऐसे सभी आदेशों को अपलोड किया जाना है, जहां -

(क) ऐसे आदेश. जो एन.सी.एस.टी./एन.सी.एल.ए.टी. के लिए ऊपर उल्लिखित प्रवर्गों से संबंधित हैं;

(ख) आई.बी.बी.आई./कारपोरेट कार्य मंत्रालय एक पक्षकार है; और

(ग) मामला संहिता, नियमों और विनियमों के उपबंधों का शक्तिमत्ता, निर्वचन और उपयोज्यता से संबंधित किसी महत्वपूर्ण मुद्दे के संबंध में है(कृपया परिपत्र सं. आई.बी.बी.आई./ पी.आर.ओ.एस./53/2022, तारीख 13 सितम्बर, 2022 के प्रति निर्देश करें) ।

4. तदनुसार, आई.पी. को यह निर्देश दिया जाता है कि वे उनके असाइनमेंट के संबंध में पूर्वोक्त प्रवर्गों से संबंधित पूर्वोक्त न्यायिक आदेशों को नियमित रूप से अपलोड करें । इन आदेशों को संबंधित न्यायिक पीठों, अर्थात्, यथास्थिति, राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण(एन.सी.एल.टी.), राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण(एन.सी.एल.ए.टी.), उच्च न्यायालय(एच.सी.) और उच्चतम न्यायालय(एस.सी.) की शासकीय वैबसाइटों से डाउनलोड करने के पश्चात् अपलोड किया जाएगा । इन आदेशों को अपलोड करते समय सम्यक् सावधानी और सतर्कता बरती जानी चाहिए ।

5. आई.पी. द्वारा न्यायिक आदेशों को अपलोड करने का काम उसी असाइनमेंट पोर्टल पर जाकर, जिसका प्रयोग करके आई.पी. नियमित रूप से भिन्न-भिन्न सी.आई.आर.पी. प्ररूप अपलोड करते हैं, “आदेश” प्रवर्ग के अधीन किया जा सकता है । पिछली असाइनमेंट के लिए भी आदेश अपलोड किए जा सकते हैं । अभिगम और अपलोड करने की चरण-वार प्रक्रिया **उपाबंध-I** में स्पष्ट की गई है ।

6. यह परिपत्र संहिता की धारा 196 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया जाता है ।

हस्ता.

(सी. रामचन्द्र राव)

महाप्रबंधक

c.ramachandrarao@ibbi.gov.in

011 23462861

उपाब्ध I - आदेश अपलोड करने की चरण-वार प्रक्रिया

चरण 1 - विशिश्ट सी.डी. के असाइनमेंट पोर्टल पर जाना:

-https://ibbi.gov.in/en/users/login लिंक का प्रयोग करके आई.बी.बी.आई. पोर्टल द्वारा प्रदान किए गए अपने निर्देशांकों का प्रयोग करके अपने असाइनमेंट पोर्टल पर लॉगिन करना

चरण 2 - "आदेश" अनुभाग में जाना:

- लॉगिन करने पर, "आदेश" पर क्लिक करके अभिहित अनुभाग को ढूंढना और वहां पहुंचना -

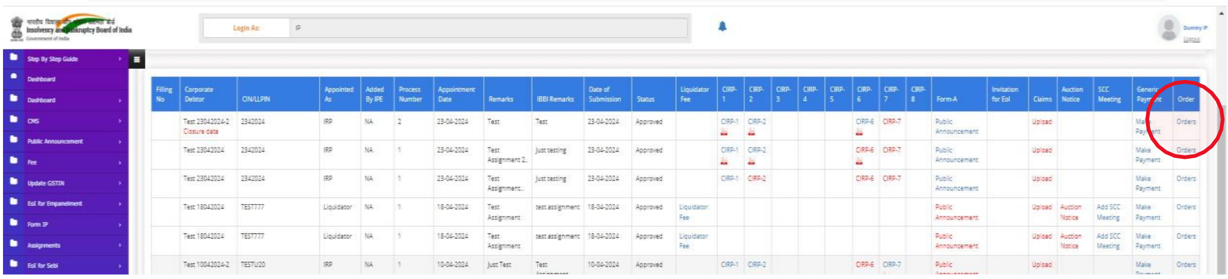

चरण 3 - समुचित न्यायिक पीठ का चयन करें

चरण 4 -यदि एन.सी.एल.टी/एन.सी.एल.ए.टी का चयन किया जाता है तो उस अंतर्वर्ती आवेदन(आई.ए.)/कंपनी याचिका(सी.पी.) का 16 अंकों का फाइल करने का संख्यांक प्रविष्ट करें

चरण 5 -एन.सी.एल.टी./एन.सी.एल.ए.टी./एच.सी. की समुचित न्यायपीठ का चयन करें

चरण 6 - एन.सी.एल.टी./एन.सी.एल.ए.टी./एच.सी. और एस.सी. के लिए आदेश का समुचित प्रवर्ग विनिर्दिष्ट करें

(टिप्पण - कृपया विनिर्दिष्ट रूप से उपबंधित प्रवर्ग के आदेश से भिन्न किसी अन्य प्रवर्ग के आदेश अपलोड न करें)

चरण 7 -आदेश की तारीख का चयन करें

चरण 8 - एन.सी.एल.ए.टी./एच.सी. और एस.सी. के लिए, निम्नलिखित भरें -

(i) प्रथम याची/आवेदक का नाम भरें

(ii) प्रथम प्रत्यर्थी का नाम भरें, यदि लागू होता है

चरण 9 -मामला सं. प्रविष्ट करें

(उदाहरणार्थ: 'सी.पी.(आई.बी.)903/2019', 'सी.पी.(आई.बी.)-2788/2019 में आई.ए.-2452/2023', 'सी.ए.(ए.टी.)(इन्स.)-1052/2022', 'डब्ल्यू.पी.(सी.)-6569/2023', 'सी.ए.-1143/2022' और 'एस.एल.पी.(सी.)-14982/2017')

चरण 10 - भरी गई जानकारी के आधार पर आदेशों की विषय-सूची निम्नलिखित रूप में स्वतः जनित हो जाएगी-

(i) एन.सी.एल.टी. के लिए - शीर्षक यह होगा **"(कारपोरेट ऋणी का नाम) के मामले में (मामला सं.)"**

(ii) एन.सी.एल.ए.टी,/एच.सी. और एस.सी. के लिए -

- शीर्षक यह होगा - **"(प्रथम याची का नाम) बनाम (प्रथम प्रत्यर्थी का नाम) के मामले में (मामला सं.)"**
- एकल पक्षकार वाले मामलों के लिए, अर्थात् In re., शीर्षक यह होगा **-(पक्षकार का नाम) के मामले में (मामला सं.)**

चरण 11 - आदेश का पी.डी.एफ. अपलोड करें

(टिप्पणः यह पी.डी.एफ. वही होना चाहिए जो न्यायिक पीठों की अपनी-अपनी वैबसाइटों पर उपलब्ध है ।)

चरण 12 यदि आदेश में आई.पी. के विरुद्ध प्रतिकूल टिप्पणियां हैं दो कृपया हां/नहीं का चयन करें ।

चरण 13 - ऊपर प्रस्तुत किए गए ब्यौरों को सत्यापित करें और प्रस्तुत करें ।

****